पत्रावली लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु लोक अदालत दिनांक 10.02.2018 में पेश हुयी परन्तु समझाईश न होने से आदेश दिनांक 28.02.2018 में रखी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कर मनन किया। जिससे यह जाहिर होता है प्रार्थीगण की माता रोड़ीबाई को माननीय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बालचन्द की विधित पत्नि नहीं माना है और पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिसमें प्रमाणित है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की धर्मज सन्तान है। अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट 1955 की प्रथम शर्त प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है और प्रथम मामला प्रमाणित न होने पर सुविधा संतुलन और अपूरणीय क्षति की शर्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

न्यायालय के विनम्र राय में उक्त शर्तो के प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित न होने से प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/2

(प्रकाशचन्द्र रेगर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड